



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

आयोग की वेबसाइट-[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

विज्ञापन सं०: A-1/S-1/2018



01334-244143  
01334-244282(F)



07060002410(M)

दिनांक 04.09.2018

## उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2018

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	04 सितम्बर, 2018
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	25 सितम्बर, 2018 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card or CSC Connect (only for CSC Operatros) द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	25 सितम्बर, 2018 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

### अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एए) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 25 सितम्बर, 2018 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन के आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
5. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6. आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, शाखा, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Susheel

7. प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क [Net Banking/Debit Card/ Credit Card or CSC Connect (only for CSC Operatros)] ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं (महिला एवं सामान्य शाखा) हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा सम्बन्धित विषय का उल्लेख किया जाना होगा।
9. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता का उल्लेख करेगा तथा विभिन्न पदों हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता, जो वह धारित करता हो, के अनुसार एक से अधिक विषयों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क पृथक-पृथक जमा करना होगा।  
उदाहरण – यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिन्दी (शुल्क ₹100.00) तथा प्रवक्ता अंग्रेजी (शुल्क ₹100.00) दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करती है और वह दोनों शाखाओं (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) के उक्त विषयों हेतु आवेदन करती है तो उसे दोनों शाखाओं {सामान्य शाखा (प्रवक्ता हिन्दी + प्रवक्ता अंग्रेजी) एवं महिला शाखा (प्रवक्ता हिन्दी + प्रवक्ता अंग्रेजी)} हेतु निर्धारित शुल्क पृथक-पृथक {सामान्य शाखा (₹100.00 + ₹100.00 = ₹200.00) + महिला शाखा (₹100.00 + ₹100.00 = ₹200.00)} अर्थात् कुल ₹400.00 जमा करना होगा।
10. प्रश्नगत विज्ञापन के तहत एक शाखा के अंतर्गत एक विषय हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार किया जायेगा। अभ्यर्थी किसी एक शाखा के अंतर्गत एक विषय हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें तथापि परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त भी त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।  
उदाहरण – यदि कोई महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिन्दी (सामान्य शाखा) तथा प्रवक्ता हिन्दी (महिला शाखा) हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे दोनों शाखाओं सामान्य शाखा (प्रवक्ता हिन्दी) एवं महिला शाखा (प्रवक्ता हिन्दी) हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
11. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
12. प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 यथा संशोधित के अनुसार साक्षात्कार के पूर्व विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो पर उपलब्ध है।
13. प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
14. स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
15. साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक, अधिमानी, अनुभव, आरक्षण, निवास, सेवायोजन पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

Sushael

Leet. Inter College Advertisement 2

₹

PSul

₹

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य/महिला शाखा) पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण : विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य/महिला शाखा) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 917 है। रिक्तियों की संख्या घटायी एवं बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों का शाखावार (सामान्य एवं महिला शाखा) विवरण निम्नवत है :-

(क) प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा) – कुल 782 पद

क्र० सं०	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अ०पि०वर्ग	अनारक्षित
01.	हिन्दी	121	23	06	17	75
02.	अंग्रेजी	93	17	04	14	58
03.	संस्कृत	51	10	03	07	31
04.	भौतिक शास्त्र	67	12	03	10	42
05.	रसायन शास्त्र	49	10	02	07	30
06.	गणित	73	14	03	10	46
07.	जीव विज्ञान	71	14	03	10	44
08.	नागरिक शास्त्र	71	14	03	10	44
09.	अर्थशास्त्र	45	09	02	06	28
10.	इतिहास	39	07	02	06	24
11.	भूगोल	92	18	04	13	57
12.	समाजशास्त्र	07	01	—	01	05
13.	वाणिज्य	02	—	—	—	02
14.	कृषि शास्त्र	01	—	—	—	01
योग		782	149	35	111	487

क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-

क्र० सं०	विषय	कुल रिक्त पद	विषयवार विकलांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)					अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)					अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)					अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)												
				रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	विकलांग			रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	विकलांग			रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	विकलांग			रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	विकलांग						
							दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया				स्व०सं० से०आश्रित	दृष्टिहीनता	श्रवणहास				चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित	दृष्टिहीनता				श्रवणहास	चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित
1	हिन्दी	121	OA, OL, B, PB	23	07	01	01	—	—	—	06	02	—	01	—	—	—	17	05	01	01	—	—	—	75	23	04	03	—	—	02
2	अंग्रेजी	93	OA, OL, B, PB	17	05	01	02	—	01	—	04	01	—	01	—	—	—	14	04	01	01	—	01	—	58	17	03	05	—	02	01
3	संस्कृत	51	OA, OL, B, PB	10	03	01	01	—	—	—	03	01	—	—	01	—	—	07	02	—	01	—	—	—	31	09	02	01	—	—	01
4	भौतिक शास्त्र	67	OA, OL, PD	12	04	01	—	02	—	—	03	01	—	—	01	—	—	10	03	—	—	01	01	—	42	13	02	—	05	03	01
5	रसायन शास्त्र	49	OA, OL, PD	10	03	—	—	02	01	—	02	01	—	—	01	—	—	07	02	—	—	01	—	—	30	09	02	—	05	01	01
6	गणित	73	OA, OL, PD	14	04	01	—	02	01	—	03	01	—	—	—	—	—	10	03	01	—	01	01	—	46	14	02	—	04	02	01
7	जीव विज्ञान	71	OA, OL, PD	14	04	01	—	01	—	—	03	01	—	—	01	—	—	10	03	01	—	01	01	—	44	13	02	—	04	04	01
8	नागरिक शास्त्र	71	OA, OL, B, PB	14	04	01	—	—	—	—	03	01	—	—	—	—	—	10	03	01	—	—	—	—	44	13	02	—	—	—	01
9	अर्थशास्त्र	45	PB, PD	09	03	—	—	01	—	—	02	01	—	01	—	—	—	06	02	—	—	—	—	—	28	08	01	03	02	—	01
10	इतिहास	39	OA, OL, B, PB	07	02	—	01	—	—	—	02	01	—	—	—	—	—	06	02	—	01	—	—	—	24	07	01	—	—	—	—
11	भूगोल	92	PB, PD	18	05	01	01	01	—	—	04	01	—	—	—	—	—	13	04	01	01	01	—	—	57	17	03	01	01	—	01
12	समाजशास्त्र	07	OA, OL, B, PB	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01	—	—	—	05	02	—	—	—	—	—
13	वाणिज्य	02	OA, OL, PD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02	01	—	—	—	—	—
14	कृषि शास्त्र	01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—
योग		782		149	44	08	06	09	03	—	35	12	—	03	02	02	—	111	33	06	06	05	04	—	487	146	24	13	21	12	11

Sushael

PSul

विकलांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विकलांगता की श्रेणी/उपश्रेणी :-

क्र० सं०	विषय	विषयवार विकलांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)			अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)			अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)			अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)		
			विकलांग श्रेणी			विकलांग श्रेणी			विकलांग श्रेणी			विकलांग श्रेणी		
			दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)		
1	हिन्दी	OA, OL, B, PB	B, PB	-	-	B, PB	-	-	B, PB	-	-	B, PB	-	-
2	अंग्रेजी	OA, OL, B, PB	B, PB	-	OA, OL	B, PB	-	-	B, PB	-	OA, OL	B, PB	-	OA, OL
3	संस्कृत	OA, OL, B, PB	B, PB	-	-	-	-	OA, OL	B, PB	-	-	B, PB	-	-
4	भौतिक शास्त्र	OA, OL, PD	-	PD	-	-	PD	-	-	PD	OA, OL	-	PD	OA, OL
5	रसायन शास्त्र	OA, OL, PD	-	PD	OA, OL	-	PD	-	-	PD	-	-	PD	OA, OL
6	गणित	OA, OL, PD	-	PD	OA, OL	-	-	-	-	PD	OA, OL	-	PD	OA, OL
7	जीव विज्ञान	OA, OL, PD	-	PD	-	-	-	OA, OL	-	PD	OA, OL	-	PD	OA, OL
8	नागरिक शास्त्र	OA, OL, B, PB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अर्थशास्त्र	PB, PD	-	PD	-	PB	-	-	-	-	-	PB	PD	-
10	इतिहास	OA, OL, B, PB	B, PB	-	-	-	-	-	B, PB	-	-	-	-	-
11	भूगोल	PB, PD	PB	PD	-	-	-	-	PB	PD	-	PB	PD	-
12	समाजशास्त्र	OA, OL, B, PB	-	-	-	-	-	-	B, PB	-	-	-	-	-
13	वाणिज्य	OA, OL, PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	कृषि शास्त्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट- (i) प्रत्येक विषय के लिए विकलांगजन हेतु आरक्षित पद उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या-4, 5, 6 एवं 7 में उल्लिखित विकलांगता की उपश्रेणी हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या-4, 5, 6 एवं 7 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या-3 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मूल उर्ध्वाधर (Vertical) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(iii) उक्तांकित तालिका के प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या-3 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त अन्य विकलांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

(ख) प्रवक्ता संवर्ग (महिला शाखा) - कुल 135 पद

क्र० सं०	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अ०पि०वर्ग	अनारक्षित
1.	हिन्दी	17	03	01	02	11
2.	अंग्रेजी	20	04	01	04	11
3.	संस्कृत	12	02	-	02	08
4.	भौतिक शास्त्र	23	05	01	03	14
5.	रसायन शास्त्र	12	02	-	03	07
6.	जीवविज्ञान	10	02	-	01	07

7.	नागरिक शास्त्र	12	02	—	02	08
8.	अर्थशास्त्र	11	02	—	01	08
9.	इतिहास	11	02	—	02	07
10.	भूगोल	06	01	—	01	04
11.	मनोविज्ञान	01	—	—	—	01
योग		135	25	03	21	86

**क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-**

क्र० सं०	विषय	कुल रिक्त पद	विषयवार विकलांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)					अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)					अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)					अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)							
				विकलांग					विकलांग					विकलांग					विकलांग							
				रिक्त पद	पूर्व सैनिक	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित	रिक्त पद	पूर्व सैनिक	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित	रिक्त पद	पूर्व सैनिक	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	स्व०सं० से०आश्रित	रिक्त पद	पूर्व सैनिक	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया
1	हिन्दी	17	OA, OL, B, PB	03	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	—	02	—	—	—	—	11	01	—	—	—	—
2	अंग्रेजी	20	OA, OL, B, PB	04	—	01	—	—	—	01	—	—	—	—	—	04	—	—	—	—	11	01	01	—	—	—
3	संस्कृत	12	OA, OL, B, PB	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	08	—	—	—	—	—
4	भौतिक शास्त्र	23	OA, OL, PD	05	—	—	—	01	—	01	—	—	—	—	—	03	—	—	01	—	14	01	—	—	—	—
5	रसायन शास्त्र	12	OA, OL, PD	02	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	03	—	—	—	—	07	—	—	01	—	—
6	जीवविज्ञान	10	OA, OL, PD	02	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	07	—	—	—	—	—
7	नागरिक शास्त्र	12	OA, OL, B, PB	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	08	—	01	—	—	—
8	अर्थशास्त्र	11	PB, PD	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	08	—	—	01	—	—
9	इतिहास	11	OA, OL, B, PB	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	07	—	—	—	—	—
10	भूगोल	06	PB, PD	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	04	—	—	01	—	—
11	मनोविज्ञान	01	OA, OL, PD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—
योग		135		25	—	01	01	02	—	03	—	01	—	—	—	21	—	01	01	—	86	03	02	03	—	—

**विकलांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विकलांगता की श्रेणी/उपश्रेणी :-**

क्र० सं०	विषय	विषयवार विकलांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)			अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)			अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)			अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)		
			विकलांग			विकलांग			विकलांग			विकलांग		
			दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया	दृष्टिहीनता	श्रवणहास	चलनक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)		
1	हिन्दी	OA, OL, B, PB	—	—	—	B, PB	—	—	—	—	—	—	—	
2	अंग्रेजी	OA, OL, B, PB	B, PB	—	—	—	—	—	—	—	—	B, PB	—	—
3	संस्कृत	OA, OL, B, PB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	भौतिक शास्त्र	OA, OL, PD	—	—	OA, OL	—	—	—	—	PD	—	—	—	
5	रसायन शास्त्र	OA, OL, PD	—	—	OA, OL	—	—	—	—	—	—	—	PD	
6	जीवविज्ञान	OA, OL, PD	—	PD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	नागरिक शास्त्र	OA, OL, B, PB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B, PB	—	—

*Susheel*  
Lect. Inter College Advertisement 5

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

8	अर्थशास्त्र	PB, PD	-	-	-	-	-	-	-	PB	-	-	-	PD	-
9	इतिहास	OA, OL, B, PB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	भूगोल	PB, PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD	-
11	मनोविज्ञान	OA, OL, PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट- (i) प्रत्येक विषय के लिए विकलांगजन हेतु आरक्षित पद उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या-4, 5, 6 एवं 7 में उल्लिखित विकलांगता की उपश्रेणी हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या-4, 5, 6 एवं 7 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या-3 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मूल उर्ध्वाधर (Vertical) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(iii) उक्तांकित तालिका के प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या-3 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त अन्य विकलांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

02. (1) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं :- सेवा में प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है -

क्र०सं०	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हताएं
01.	प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी।	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने - (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या (दो) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) एन0एस0एस0 का 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
02.	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
03.	प्रवक्ता जीव विज्ञान	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
04.	प्रवक्ता हिन्दी	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण-पत्र। 03. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
05.	प्रवक्ता संस्कृत	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0/शिक्षाशास्त्री)।	
06.	प्रवक्ता वाणिज्य	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	

07.	प्रवक्ता कृषि शास्त्र	01. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 02. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
-----	--------------------------	---	--

(2) उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता –

01. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह-ग के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक : 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। शासन के पत्रांक : 310/XXX(2)/2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 के अनुसार समूह 'ग' के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता से छूट पाने वाली राज्याधीन सेवाओं में केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवायें सम्मिलित नहीं हैं।

02. शासन के पत्रांक : 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

03. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के सम्बन्ध में हाँ/नहीं को अवश्य चुने।

03. वेतनमान:- ₹ 9300-34800, ग्रेड पे ₹ 4800.00 (लेवल-8)

04. पद का स्वरूप व पेंशन योजना:- अराजपत्रित, अस्थायी/स्थायी (अविरल), अंशदायी पेंशन योजना।

05. आयु सीमा :-

(1) उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य/महिला शाखा पद हेतु आयु गणना की निश्चयायक तिथि 01 जुलाई, 2018 है अर्थात् अभ्यर्थियों को आयु गणना की निश्चयायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1997 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ0पि0व0/विकलांग/पूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को यह छूट उनके लिए अधिक लाभकारी आरक्षण की श्रेणी/उप श्रेणी के आधार पर प्रदान की जायेगी।

06. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

Sushel

PS

g

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी :-** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**07. चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

**टिप्पणी :-** संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार, या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदव्युक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**08. वैवाहिक प्रस्थिति :-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**09. शारीरिक स्वस्थता :-** किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

**10. आरक्षण :** ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

Sushant

Look Into College Advertisment

Pran



(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-1" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। सम्बन्धित विषय में जिस-जिस विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।


(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या : 133/xxxvi(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(च) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

#### 11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

- (1) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2018 के विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) या [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर जायें।
- (2) नये यूजर [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को OTR में पंजीकृत करें। (OTR में रजिस्टर करने हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) या [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर उपलब्ध है।)
- (3) पूर्व में पंजीकृत यूजर अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने Account में लॉग इन करें।
- (4) लॉग इन करने के उपरान्त अभ्यर्थी "Online Application" पर क्लिक करें।
- (5) आयोग द्वारा जारी उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2018 के विज्ञापन के सम्मुख "Click here to Apply" पर क्लिक करें।
- (6) अगर अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करता है तो अभ्यर्थी द्वारा OTR पर अंकित की हुई जानकारी स्वतः ही आवेदन फार्म पर प्रदर्शित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आवेदन फार्म को विज्ञापन के शर्त के अनुसार सही-सही भरें एवं फार्म पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। असत्य सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा कराये जाने वाली आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित (Debar) कर दिया जायेगा।
- (7) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी अपने OTR पर जाकर उक्त प्रविष्टियों को ठीक करवा लें एवं पुनः आवेदन करें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।
- (8) "You have successfully submitted your application for Special Subordinate Education Services (Lecturer-Group C) (General/Women's Branch) Exam-2018" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।
- (9) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु "My Application" पर क्लिक करें। उसके पश्चात् "Please select year" से वर्ष एवं "Select Post Name" से पद Select करें।
- (10) प्रदर्शित हुए आवेदन पर Tick कर उसके सम्मुख "Pay Now" पर क्लिक कर अपना परीक्षा शुल्क जमा करें।

Susheel



- (11) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- (12) अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

**नोट :-** अभ्यर्थी "उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018" के सापेक्ष एक से अधिक शाखाओं/विषयों हेतु ऑनलाइन आवेदन मात्र एक ही OTR के माध्यम से करें।

**12. शुल्क :** आवेदन शुल्क निम्नवत् है-

(i) क्र०सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित	कुल शुल्क
01.	अनारक्षित (सामान्य)	₹100.00	₹35.40	₹135.40
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	₹60.00	₹35.40	₹95.40
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	₹60.00	₹35.40	₹95.40
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	₹60.00	₹35.40	₹95.40
05.	उत्तराखण्ड विकलांग (सम्बन्धित विषय में जिस-जिस विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद चिन्हित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क से छूट अनुमत्य है।)	₹00.00	₹35.40	₹35.40
06.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	₹60.00	₹35.40	₹95.40

**नोट :-** विकलांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट शासनादेश संख्या : 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के बिन्दु संख्या-22 के अनुसार दिया जायेगा। उक्तांकित शासनादेश के बिन्दु संख्या-22 के अनुसार "निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन-शुल्क और परीक्षा-शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते।"

**13. अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए

जायेंगे। साक्षात्कार के पूर्व/तत्समय आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञापित राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञापित राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित किए जायेंगे जो आवेदन पत्रों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकता होने पर आयोजित होने वाली विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा सकल घोषित किये जायेंगे।

(06) स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आहूत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अलग-अलग शाखा/विषय हेतु तत्समय आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(07) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। अभ्यर्थी को दो स्वप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(08) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(09) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा की दशा में एक विषयवार पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक प्रवृत्ति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(10) चयन हेतु उपलब्ध पदों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या मानक से अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु नियत नगर का उल्लेख अवश्य करें। स्क्रीनिंग परीक्षा निम्नलिखित नगरों पर आयोजित की जायेगी :-

क्रम सं०	नगर का नाम
01.	अल्मोडा (अल्मोडा)
02.	हल्द्वानी (नैनीताल)
03.	काशीपुर (उधमसिंह नगर)
04.	देहरादून (देहरादून)
05.	हरिद्वार (हरिद्वार)
06.	श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)

नोट :- अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं तथा इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 320/XXX(2)/2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की

  
Susheel  
Joint Director (College Admissions II)







शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

**(12) गलत उत्तरों के लिए दण्ड** – वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

**(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।** इस अवधि के उपरान्त आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

**(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।** यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

**(15) कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।**

**(16) परीक्षा केन्द्र में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा को समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

**(17) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बांये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दांयें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

**(18) स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष आयोग द्वारा नियमानुसार संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा।** स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जायेगा, साक्षात्कार परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित है।

*Sushant*

Leet Inter College Advertisement 12

*[Signature]*

*Ruel*

*[Signature]*

(19) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित/संस्तुत किया जा चुका है तो भी आयोग द्वारा शासन से चयन संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(20) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(21) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(22) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card or CSC Connect (only for CSC Operatros) के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(24) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद, आवेदित शाखा तथा विषय का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(29) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(30) अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(31) चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।


*Susheel*

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*

(32) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

  
(अनन्द स्वरूप)  
सचिव।

*Sushant*

Lect. Inter College Advertisement 14

 . 

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....  
..... जिला ..... उत्तराखण्ड की ..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश  
1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी  
है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड  
के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :  
दिनांक :  
मुहर :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/  
सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....  
..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक  
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में  
प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना  
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

Susheel



उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र  
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/  
सुपुत्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....  
..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित  
और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और  
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयुक्त  
अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी .....  
(सील) .....

Sushael



संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री  
.....आयु ..... लिंग ..... पहचान चिन्ह ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी  
निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विशयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिशकीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) -

दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) -

दोनों बाहें प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बाहें (बी एल ए)-दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) -

एक टांग प्रभावित

(दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) -

एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

(i) बी - अंधता

(ii) पी बी - ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी - ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी  
करते/करती हैं:-

अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा

(i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हाँ/नहीं

Sushel

Ravi

- |  |          |
|--|----------|
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।    | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                 | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                          | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                         | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।               | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                       | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।             | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।   | हाँ/नहीं |

डा०.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया  
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

Sushant




### परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2018 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के प्रत्येक चरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	45%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	40%
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	25%	35%

**नोट-** सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

Sushant

PSM

PSM